निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर ,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी आलोक रंजन, आई0ए0एस0

तारीख दायरा: 11.08.2023

मि0न0 18 / अपील / 23

मनोहर लाल पुत्र कन्हैया लाल जाति वैरागी नि0 ग्राम बकानी तहसील बकानी जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार तहसील बकानी जिला झालावाड़ प्रकरण संख्या 01 / 23 दिनांक: 25.07.2023

उपस्थित:– श्री अरूण ढोटिया, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

दिनांक: 13/9/23

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी जिला झालावाड़ के आदेश दिनांक 25.07.2023 जो मिसल न0 01 / 2023 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम बकानी के पटवार हल्का तहसील बकानी की आराजी ख0न0 836 रकबा 0.0126 हेक्टेयर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 03 / –रू0 शास्ती तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया जाने से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिशियस तथा परवर्स होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय में पत्रावली पर आई साक्ष्य विधि विरूद्व होने तथा अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को जवाब का अवसर दिए बगैर निर्णय जेर अपील पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के वि रूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित नही होते हुए भी सजा से कठोर कारावास से दंडित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति मे कोई पैशईश नही की गई है। पटवारी हल्का द्वारा गलत तौर से अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पेमाईश रिपोर्ट पेश की है. जबकि अपीलार्थी उसकी स्वयं की आराजी पर काबिज था। जिसकी कोई पैमाईश कर अपीलार्थी को नही बताया गया तथा गलत तौर से अपीलार्थी के खिलाफ धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। अपील से संबधित प्रकरण के नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नही हुवा है ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया एवं उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दोषी मानकर निर्णय जेर अपील पारित किया गया है अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे एवं सिविल कारावास की सजा भी माफ फरमाई जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्टि करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपीलान्ट को नोटिस की तामील नही हुई है। पत्रावली मे भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.07.2023 है जिसमें अंकित है कि खसरा न0 836 पर हो रहे अतिकमण को पंचायत द्वारा उपलब्ध संसाधनों से हटाया गया है खसरान0 836 पर विवादित रास्ते से भी अतिकमण हटाया गया है एवं उक्त खसरा न0 836 पर वाल्मिकी समाज के धार्मिक स्थल पर कोई कार्यवाही नही की गई है। नोटिस की तामील जो पत्नी को करवाई गई है, उस पर गवाह के हस्ताक्षर नही है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे एवं कारावास की सजा से माफ किया जावे।

उपस्थित तहसीलदार बकानी ने कब्जे बावत रिपोर्ट दिनांक 04.09.2023 प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम बकानी के खसरान0 836 रकबा 0.1897 है0 किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मनोहर लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति लोधा निवासी बकानी का कब्जा मौके पर लकडी की तीन बल्लियां, पानी की टंकी व कुछ पत्थर रखे हुए है व शेष अतिक्रमण हटा हुवा पाया गया है। पूर्व मे प्रस्तुत रिपोर्ट अन्य प्रकरण की है जो बाल्मिकी समाज द्वारा ज्ञापन प्रस्तत किया गया था, उसके संवध मे प्रस्तुत की गई है। जिसकी छाया प्रति अपीलान्ट द्वारा संलग्न की गई है। नोटिस की तामील अपीलार्थी की पत्नी को विधिवत करवाई गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। तहसीलदार बकानी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.09.2023 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का उक्त प्रश्नगत आराजी पर कब्जा बदस्तूर है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2023 उचित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 13.09.2023 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
झालावाड